न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारीः प्रियंका कड़ेला, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या	तारीख रजू	तारीख फैसला
69/2024	30.8.2024	15-4-2026

अनोखी पत्नी रामधन, उम्र 40 साल, जाति कुम्हार, निवासी बरनाला, तहसील बरनाला, जिला सवाई माधोपुर, प्रार्थीया

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील बरनाला,

2. रामजी लाल वर्मा पुत्र रामदेव वर्मा, जाति रैगर, निवासी बरनाला, तहसील बरनाला, जिला गंगापुर सिटी, हालवासी फेज 3, गुड़गांव (हरियाणा) अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (ए) आर.टी. एक्ट

आदेश दिनांकः 15-4-2026

इस आदेश द्वारा निस्तारित किए जा रहे प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (ए) आर.टी. एक्ट में प्रार्थीया द्वारा कथन किया गया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 221 रकवा 0.21 हैक्टेयर स्थित ग्राम बरनाला प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है, जिसको प्रार्थीया ही काश्त कर सरकारी लगान अदा करती चली आ रही है। प्रार्थीया की उक्त भूमि से किसी दीगर व्यक्ति का कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं है । प्रार्थीया उक्त खातेदारी की भूमि के बाद दक्षिण दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 223 रकवा 0.24 हैक्टेयर व

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:27:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

226 रकबा 0.28 हैक्टेयर स्थित है, तथा उसके बाद खसरा नम्बर 233 गैरमुमकिन रास्ता है । प्रार्थीया अपने खेत खसरा नम्बर 221 पर खसरा नम्बर 223 व 226 में होकर ही शुरू से ही आती जाती रही है तथा अपने कृषि यंत्र आदि लाती ले जाती रही है तथा उक्त भूमि में बने हुए रास्ते का उपयोग, उपभोग करती चली आ रही है । प्रार्थीया अपनी भूमि में आवागमन के लिए एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने के लिए आराजी खसरा नम्बर 223 व 226 में स्थित रास्ते का उपयोग करती चली आ रही है, जो करीब 10 फिट चौड़ाई का दक्षिण से उत्तर दिशा व उत्तर से पूर्व की ओर है, जिसे संलग्न नजरी नक्शे में बरंग लाल भाग से दर्शित किया गया है, प्रार्थीया को अपनी खातेदारी की भूमि तक पहुँचने हेतु यही एक मात्र निकटतम रास्ता है, प्रार्थीया को अपनी उपरोक्त आराजी में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । प्रार्थीया को अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु एवं कृषि यंत्र आदि लाने ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है, प्रार्थीया को अपनी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता मुख्य रास्ता से निकटतम रास्ता भूमि खसरा नम्बर 223 व 226 में होकर ही बनता है तथा यही रास्ता मौके पर पूर्व से ही बना हुआ भी है, परन्तु उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में कोई अंकन नहीं हो रहा है, जिसके कारण प्रार्थीया [illegible] परेशानियों का सामना करना पड़ता है । उक्त रास्ते [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कराने हेतु प्रार्थीया नियमानुसार मुआवजा राशि अदा करने को भी तैयार है । प्रार्थीया उक्त रास्ते में होकर शुरू से ही आमद रफ्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:27:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

करती रही है, किन्तु अब अप्रार्थी संख्या 2 के मन में बदनीयति आ गई है और उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में उसके नाम खातेदारी दर्ज होने के आधार पर आये दिन प्रार्थीया को इस भूमि में होकर उसके आवागमन में परेशानी पैदा करता व करवाता रहता है तथा रास्ता बंद करने की धमकी देता रहता है । उक्त रास्ते का प्रार्थीया शुरू से ही उपयोग, उपभोग व प्रयोग कर रही है, परन्तु उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं होने से प्रार्थीया को अप्रार्थी संख्या 2 आये दिन उक्त रास्ते को बंद करने की धमकियाँ देता रहता है । मौके पर अर्से दराज से बने हुए रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर मौके के अनुसार तरमीम करने का एक मात्र अधिकार रेवन्यू अधिकारी, कर्मचारी व श्रीमान् जी को प्राप्त है तथा यह उनके कर्तव्यों में भी शुमार है । प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया है कि इसके उपरान्त भी यदि श्रीमान् जी आदेश फरमाते हैं तो प्रार्थीया उक्त रास्ते की भूमि के बाबत नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 2 को मुआवजा राशि भी अदा करने को तैयार है, विधि अनुसार खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु न्यायहित में रास्ता दिया जाना न्यायोचित व आवश्यक है, जिससे कि प्रार्थीया अपनी भूमि पर आ जा सके व कृषि यंत्र ला व ले जा सकें तथा भूमि का उपयोग उपभोग कर सके ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:27:28 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण को उक्त [illegible] पत्र के सम्मन प्रेषित किए गए । अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में बताया है कि प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने का कोई रास्ता

Scanned with CamScanner

अस्तित्व में नहीं है । खातेदार को अपनी खातेदारी की भूमि पर पहुँचने का सबसे नजदीक रास्ता खसरा नम्बर 233 गैरमुमकिन रास्ते से होकर खसरा नम्बर 226 व 223 से है । खातेदार द्वारा चाहा गया रास्ता अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की भूमि में होकर है ।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अपने जवाब में प्रार्थना पत्र के सभी कथनों को स्वीकार किया गया है, साथ ही यह भी कथन किया गया है कि रास्ते के उपयोग में ली जाने वाली भूमि के बाबत उसके द्वारा मुआवजा राशि भी प्राप्त कर ली गई है तथा प्रार्थीया द्वारा अपेक्षित रास्ते को दिए जाने में किसी प्रकार का विपरीत कथन नहीं किया गया है । अपने कथनों के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा 500/– रुपये के स्टॉम्प पेपर पर लिखापढ़ी की गई थी, जिसके फोटो प्रति भी पेश की गई है ।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन पत्रावली यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 221 स्थित ग्राम बरनाला, राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि है तथा यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थीया को अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता [illegible] नहीं है । यह तथ्य तहसीलदार, बरनाला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट [illegible] अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब से भी स्पष्ट है कि प्रार्थीया के पास इस रास्ते के अतिरिक्त वर्तमान में अन्य कोई निकटतम या रिकॉर्डेड रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:27:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उपलब्ध नहीं है । ऐसे में विधि का भी यही सिद्धान्त है और धारा 251 (ए) आर.टी. एक्ट में भी प्रावधित किया गया है कि यदि किसी खातेदार के पास अपनी भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तो निकटतम भूमि में होकर उसे रास्ता दिया जावेगा और रास्ते हेतु भूमि का निर्धारित मुआवजा राशि रास्ता प्राप्त करने वाले पक्षकार से ली जाकर जिस खसरा नम्बर की भूमि में से रास्ता दिया जावेगा, उसके खातेदारान को वह मुआवजा राशि अदा की जावेगी । यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 2, जो खसरा नम्बर 223 व 226 का खातेदार है, के द्वारा प्रार्थीया से मुआवजा राशि प्राप्त कर लिये जाने का कथन अपने जवाब में स्पष्ट रूप से किया गया है । ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते के रूप में ली जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 2 को किसी प्रकार की कोई मुआवजा राशि दिलाये जाने बाबत आदेश किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य पाया जाता है तथा प्रार्थीया को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 221 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 223 व 226 [illegible] 10 फिट चौड़ा रास्ता प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा [illegible] साथ प्रस्तुत नक्शे के अनुसार दिया जाना उचित प्रतीत होता है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:47:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बरनाला को आदेश दिया जाता है कि ग्राम बरनाला, तहसील बरनाला में स्थित गैरमुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 233 से प्रार्थीया को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 221 तक पहुँचने हेतु तथा अपने कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नकशे में लाल रंग के अनुसार 10 फिट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 223 रकवा 0.24 हैक्टेयर व 226 रकवा 0.28 हैक्टेयर में से दिया जाता है, जिसकी पैमाईश की जाकर पैमाईश के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की भूमि में से रास्ते के रूप में काम में ली जाने वाली भूमि को कम की जाकर गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे । आदेश की पालना हेतु अप्रार्थी संख्या 1 को तहरीर जारी की जावे ।

(प्रियंका कड़ेला)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास

आदेश आज दिनांक 15-4-26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रियंका कड़ेला)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:27:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner